ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4173/2005/सवाईमाधोपुर बलराम बनाम श्रीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-09-18	एकलपीठ श्री इन्द्र सिंह राव,सदस्य उपस्थितः– श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से। –– आदेश यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधेपुर द्वारा अपील सं0 121/2005 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 01–08–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने अपील न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण लौटाए जाने के आदेश प्रदान किए। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करने में भारी अवैधानिक त्रुटि कारित की है कि उसे हस्तगत अपील सुनने एवं निर्णित करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निहित क्षैत्राधिकार का उपयोग नहीं करने में भारी भूल की है। उनका यह भी तर्क था कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की जाती है। यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अति0 जिला कलक्टर को पुनः नीलामी के आदेश देने का क्षैत्राधिकार नहीं था जबकि विवादित आराजी पूर्व में ही नीलाम की जा चुकी थी तथा प्रार्थी	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4173/2005/सवाईमाधोपुर बलराम बनाम श्रीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा नीलामी राशि जमा करवा दी गई थी तथा प्रार्थी को कब्जा भी सुपूर्द कर दिया गया था जिस पर उसने फसल उगा दी थी और फसल आधी पकी हुई खड़ी है। यह अधीनस्थ न्यायालयों में निहित विधिक अधिकारों का घोर दुरूपयोग है यदि उक्त आदेश पत्रावली पर रहा तो न्याय की मंशा का हास होगा। मान0 राजस्व मण्डल में अन्तर्निहित असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने तर्क दिया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का आदेश उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, बामनवास के आदेश/ पत्र दिनांक 28-07-2005 के विरूद्ध अपील पेश की गई, उक्त पत्र से प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में बोली गई नीलामी बोली को रिजर्व रखते हुए पुनः नीलामी बाबत् प्रार्थी को सूचित किया गया है, उक्त कार्यवाही तहसील द्वारा ए0डी0एम0, सवाईमाधोपुर के आदेश प्राप्त होने पर किया जाना पत्र में अंकित किया गया है। उक्त कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही है। उक्त स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपील को न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं माना तथा अपील को	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4173/2005/सवाईमाधोपुर बलराम बनाम श्रीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश प्रदान किए। हमारी राय में अधीनस्थ अपील न्यायालय का उक्त आदेश उचित एवं विधिसम्मत है, क्योंकि उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है तथा अपील न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध ही धारा 225 के तहत सुनवाई का क्षैत्राधिकार है। अतः हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते है। फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) सदस्य	